



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112021-231466
CG-DL-E-29112021-231466

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678]
No. 678]

नई दिल्ली शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 837(अ).—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 56 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:

- लघु शीर्षक और प्रारंभ: (1) इन नियमों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (अधिकारियों और स्टाफ की नियुक्ति) भर्ती नियम, 2021 कहा जाए।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वहीं होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- अपात्रता- ऐसा कोई व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, अथवा विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

वर्तते कि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पदसंख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सदस्य (परीक्षा प्रकोष्ठ)	03* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', गैर-मंत्रालयी	लेवल 14 (1,44,200 रु.- 2,18,200रु.)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी। (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हैं या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 (1,23,100- 2,15,900रु) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा; और (iii). प्रशासन, वित्त और सतर्कता मामलों का दस वर्ष का अनुभव रखते हैं। नोट : 1. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग- पूर्व पद प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- i. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; अध्यक्ष ii. महा निदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, (पदेन)- सदस्य iii. निदेशक, एम्स, दिल्ली (पदेन)- सदस्य iv. निदेशक, पीजीआई, चंडीगढ़, (पदेन)-सदस्य v. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; सदस्य, सचिव	लागू नहीं।

			नोट 2: प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को <u>56 वर्ष</u> से अधिक नहीं होनी चाहिए।		
--	--	--	---	--	--

2	वरिष्ठ सलाहकार	08* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	लेवल 14 (1,44,200 ₹.- 2,18,200₹.)	चयन पद	लागू नहीं	(i). स्नाकोत्तर मेडीकल डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस (ii). व्यवसाय में कुल 12 वर्ष का अनुभव जिसमें 5 वर्ष का अनुभव स्नाकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त मेडीकल कॉलेज में शिक्षण का होना चाहिए।
---	----------------	--	---	---	--------	-----------	--

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी। (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हैं या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 (1,23,100- 2,15,900₹) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा; रखते हैं और (iii) स्तंभ (7) में निर्धारित अर्हता धारी हो। नोट : 1. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग- बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 2: प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को <u>56 वर्ष</u> से अधिक नहीं होनी चाहिए।	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- i. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; अध्यक्ष ii. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- सदस्य iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य v. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित किए जाने वाले उपयुक्त स्तर के एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य	लागू नहीं।
-----------	-----------	----------------------	---	---	------------

3	सलाहकार (रेटिंग)	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', गैर-मंत्रालयी	लेवल 12 (78,800 ₹.-2,09,200₹.)	चयन पद	45 वर्ष तक	(i). मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नाकोत्तर डिग्री; (ii). गुणवत्ता नियंत्रण और अवसरंचना एवं अन्य सुविधाओं के मूल्य-निर्धारण का 10 वर्ष का अनुभव। वरीयतः चिकित्सा संस्थान या कॉलेज या अस्पताल में हो। नोट 1: अभ्यर्थी के अन्यथा सुयोग्य होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में छूट दी जा सकती है।
---	------------------	--	--	--------------------------------	--------	------------	--

							नोट 2: उपर्युक्त शैक्षणिक अर्हता और अनुभव मूल पात्रता मानदंड है। कार्य आधार पर अतिरिक्त अपेक्षा, यदि कोई हो तो, का प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लेख किया जाएगा।
--	--	--	--	--	--	--	---

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर स्तंभ 7 में निर्धारित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सदृश सर्विदा आधार पर नियुक्ति	प्रतिनियुक्ति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी। (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारी हैं या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 (67,700- 2,08,700₹) नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा; और (iii) स्तंभ (7) में निर्धारित अर्हता। (iv) गुणवत्ता नियंत्रण और अवसरचनना एवं अन्य सुविधाओं के मूल्य- निर्धारण का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव। वरियत: चिकित्सा संस्थान या कॉलेज या अस्पताल में हो। नोट : 1. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग- बाह्य पद पर कार्य करने की प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 2: प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- i. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; अध्यक्ष ii. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- सदस्य iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य iv. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित किया जाने वाला उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य	लागू नहीं।
-----------	-----------	--	---	---	------------

4	उप- सचिव (लेखा एवं वित्त)	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, मंत्रालयी	लेवल 12 (78,800 ₹.-2,09,200₹.)	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं
---	---------------------------	--	--	--------------------------------	--------	-----------	-----------

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी। (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारी हैं या (ii) प्रधान लेखा अधिकारी अथवा समकक्ष व्यक्तियों में से कोई जिसने वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 (67,700- 2,08,700₹) में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा जिसके पास वित्त, लेखा, बजट संबंधी मामलों को देखने का अनुभव हो; और	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- i. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; अध्यक्ष ii. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- सदस्य iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य iv. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित किया जाने वाला उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य	लागू नहीं।
-----------	-----------	----------------------	--	---	------------

			नोट : 1. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग- बाह्य पद पर कार्य करने की प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 2: प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को <u>56 वर्ष</u> से अधिक नहीं होनी चाहिए।		
--	--	--	---	--	--

5	उप- सचिव (विधि)	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, मंत्रालयी	लेवल 12 (78,800 रु.-2,09,200रु.)	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं
---	-----------------	--	---	----------------------------------	--------	-----------	-----------

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी। (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारी हैं या (ii) प्रधान लेखा अधिकारी अथवा समकक्ष व्यक्तियों में से कोई जिसने वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 (67,700- 2,08,700रु) में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा जिसके पास वित्त, लेखा, बजट संबंधी मामलों को देखने का अनुभव हो; और नोट : 1. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग- बाह्य पद पर कार्य करने की प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 2: प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को <u>56 वर्ष</u> से अधिक नहीं होनी चाहिए।	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- - अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; अध्यक्ष - सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- सदस्य - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य - अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित किया जाने वाला उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य	लागू नहीं।
-----------	-----------	----------------------	--	---	------------

6	अवर- सचिव (विधि)	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', मंत्रालयी	लेवल 11 (67,700 रु.-2,08,700रु.)	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं
---	------------------	--	--	----------------------------------	--------	-----------	-----------

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी।	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- - अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; अध्यक्ष - सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- सदस्य	लागू नहीं।
-----------	-----------	----------------------	--	---	------------

			(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारी हैं या (ii) अनुभाग अधिकारी (विधि) अथवा समकक्ष व्यक्तियों में से कोई जिसने वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (47,600-1,51,100₹.) में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिसके पास विधि/संविधिक मामलों को देखने का कम-से-कम 5 वर्ष का अनुभव हो; और नोट : 1. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर कार्य करने की प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 2: प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा नामित एक प्रतिनिधि-सदस्य iv. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित किया जाने वाला उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	
--	--	--	--	--	--

7	विधि अधिकारी	04* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', गैर-मंत्रालयी	लेवल 11 (67,700 ₹.-2,08,700₹.) या समेकित पारिश्रमिक (चयन के समय दर्शाया जाए)	चयन पद	40 वर्ष तक	(i). एलएलबी से स्नातक जिसमें कम-से-कम 55% अंक प्राप्त हो; (ii). बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पंजीकरण के बाद व्यवसाय में कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव। वांछनीय: केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन में विधि विभाग में कार्य करने का अनुभव
---	--------------	--	--	--	--------	------------	---

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर स्तंभ 7 में निर्धारित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सदृश सर्विदा आधार पर नियुक्ति	प्रतिनियुक्ति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी। (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारी हैं या (ii) वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 (56,100-1,77,500₹.) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा; और (iii) वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (47,600-1,51,100₹.) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की सेवा; (iv) स्तंभ (7) में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता। (v) सरकारी/स्वायत्त संगठन में विधिक मामलों को देखने का 5 वर्ष का अनुभव हो। नोट : 1. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग-बाह्य	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं।
				i. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; अध्यक्ष ii. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा नामित एक प्रतिनिधि-सदस्य iv. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित किया जाने वाला उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	

			पद पर कार्य करने की प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 2: प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को <u>56 वर्ष</u> से अधिक नहीं होनी चाहिए।		
--	--	--	---	--	--

8.	प्रबंधक (आईटी)	03* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', गैर मंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11, (67,700- 2,08,700रु.) या समेकित पारिश्रमिक (भर्ती के समय इंगित किया जाना है)	लागू नहीं	40 वर्ष	(i) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग / बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (ii) आईटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को संभालने का आठ वर्ष का अनुभव; (iii) सरकारी डोमेन का ज्ञान वांछनीय है। टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में छूट दी जा सकती है टिप्पण 2: उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता और अनुभव मूल पात्रता मानदंड है। प्रत्येक विज्ञापन में कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताएं, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाएगा।
----	----------------	--	--	---	-----------	---------	--

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा या उसके न होने पर, कॉलम (7) में निर्धारित शैक्षणिक और अन्य योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से संविदा आधार पर है	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी; (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर पद धारण करने वाले ; या (ii) लेवल 8 (47600-151100 रुपए) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में प्रदान की गई तीन वर्ष की नियमित सेवाओं के साथ; तथा (iii) कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता व अनुभव रखने वाले। टिप्पण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के इसी संस्थान या किसी अन्य संस्थान में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी विशेषज्ञ।	लागू नहीं
-----------	-----------	--	---	--	-----------

			टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--	--

9.	कंप्यूटर प्रोग्रामर	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', गैर मंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 (56100-177500 रुपए) या समकित पारिश्रमिक (भर्ती के समय इंगित किया जाना है)	चयन	35 वर्ष तक	(i) बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग / बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस / इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (ii) आईटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को संभालने के अनुभव के साथ आईटी टेक्नोलॉजीज / सॉफ्टवेयर पृष्ठभूमि के साथ सलाहकार सेवाओं में पांच साल का अनुभव। (iii) सरकारी डोमेन का ज्ञान बांछनीय है। टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में छूट दी जा सकती है टिप्पण 2: उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता और अनुभव मूल पात्रता मानदंड है। प्रत्येक विज्ञापन में कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताएं, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाएगा।
----	---------------------	--	--	--	-----	------------	--

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा या उसके न होने पर, कॉलम (7) में निर्धारित शैक्षणिक और अन्य योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से संविदा आधार पर है	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी; (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; या (ii) लेवल 8 (47600-151100 रुपए) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में प्रदान की गई पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; (iii) कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता व अनुभव रखने वाले; और (iv) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंक में संबंधित अनुभव रखने वाले अधिकारी को वरीयता दी जाएगी	चयन समिति के हैं: -	(i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी सदस्य	लागू नहीं
-----------	-----------	--	---	---------------------	---	-----------

			टिप्पण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के इसी संस्थान या किसी अन्य संस्थान में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	---	--	--

10.	लेखा अधिकारी	02* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', मंत्रालयी	लेवल 9 (53100-167800 रुपए)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
-----	--------------	--	--	----------------------------	-----	-----------	-----------

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी; (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; या (ii) लेवल 8 (47600-151100 रुपए) में तीन वर्ष की नियमित सेवाओं के साथ सहायक लेखा अधिकारियों या समकक्ष में से; टिप्पण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के इसी संस्थान या किसी अन्य संस्थान में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी सदस्य।	लागू नहीं
-----------	-----------	----------------------	---	---	-----------

11.	हिंदी अधिकारी	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', मंत्रालयी	लेवल 8 (47600-151100 रुपए)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
-----	---------------	---	--	----------------------------	-----	-----------	-----------

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी;	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	लागू नहीं
-----------	-----------	----------------------	---	---	-----------

			(i) मूल संवर्ग या विभाग के आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; या (ii) लेवल 7 (44900-142400 रुपए) में पांच वर्ष की नियमित सेवाओं के साथ वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी या समकक्ष में; टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के इसी संस्थान या किसी अन्य संस्थान में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी सदस्य।	
--	--	--	--	--	--

12.	सहायक लेखा अधिकारी	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', मंत्रालयी	लेवल 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
-----	--------------------	---	--	----------------------------	-----	-----------	-----------

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी; (i) मूल संवर्ग या विभाग के आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; या (ii) लेवल 6 में (35400-112400 रुपये) में से पांच साल की नियमित सेवा सहित वरिष्ठ लेखाकारों या समकक्ष में से। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के इसी संस्थान या किसी अन्य संस्थान में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी सदस्य।	लागू नहीं
-----------	-----------	----------------------	---	---	-----------

13.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', मंत्रालयी	लेवल 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
-----	----------------------	--	--	----------------------------	-----	-----------	-----------

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के कार्मिक; (i) मूल संवर्ग या विभाग के आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; टिप्पण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के इसी संस्थान या किसी अन्य संस्थान में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी सदस्य।	लागू नहीं
-----------	-----------	----------------------	---	--	-----------

14.	लेखा कार	02* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', मंत्रालयी	लेवल 5 (29200-92300 रुपए)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
-----	----------	--	--	---------------------------	-----	-----------	-----------

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के कार्मिक; (i) मूल संवर्ग या विभाग के आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; टिप्पण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के इसी संस्थान या किसी अन्य संस्थान में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी सदस्य।	लागू नहीं
-----------	-----------	----------------------	---	--	-----------

15.	पुस्तकालय अध्यक्ष /सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', मंत्रालयी	लेवल5 (29200-92300 रुपए)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
-----	--	--	--	--------------------------	-----	-----------	-----------

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी; (i) मूल संवर्ग या विभाग के आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले ; या टिप्पण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि भारत सरकार के इसी संस्थान या संवर्ग बाह्य इस नियुक्ति की तुरंत पूर्व किसी प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी विशेषज्ञ।	लागू नहीं
-----------	-----------	----------------------	--	---	-----------

16.	स्टोर कीपर	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', मंत्रालयी	लेवल4 (Rs.25500-81100)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
-----	------------	--	--	---------------------------	-----	-----------	-----------

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी; (i) मूल संवर्ग या विभाग के आधार पर सदृश पदों को धारण करने के साथ स्टोर संभालने और स्टोर का लेखा रखने का एक वर्ष का अनुभव।; टिप्पण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि भारत सरकार के इसी संस्थान या संवर्ग बाह्य इस नियुक्ति की तुरंत पूर्व किसी प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी विशेषज्ञ।	लागू नहीं
-----------	-----------	----------------------	---	---	-----------

17.	स्टाफ कार चालक	04* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', गैर-मंत्रालयी	लेवल3 (21700-69100 रुपए)	गैर चयन	35 वर्ष तक	i) मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण; (ii) लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारण करना; (iii) केंद्र सरकार /
-----	----------------	--	--	--------------------------	---------	------------	---

							राज्य सरकार / स्वायत्त संगठन में ट्राइविंग का पांच साल का अनुभव। टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में छूट दी जा सकती है
--	--	--	--	--	--	--	---

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति या असफल होने पर, जो कि कॉलम (7) में निर्धारित शैक्षणिक और अन्य योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से अनुबंध के आधार पर है	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी; (i) मूल संवर्ग या विभाग के आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले ; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में लेवल 2 (19900-63200 रुपए) में नियमित नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा टिप्पण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि भारत सरकार के इसी संस्थान या संवर्ग बाह्य इस नियुक्ति की तुरंत पूर्व किसी प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी विशेषज्ञ।	लागू नहीं
-----------	-----------	--	---	---	-----------

18.	हिंदी टंकक	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', मंत्रालयी	लेवल2 (19900-63200 रुपए)	गैर चयन	35 वर्ष तक	(i) कला स्नातक (हिंदी); (ii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन में हिंदी टाइपिंग का तीन साल का अनुभव। टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में छूट दी जा सकती है
-----	------------	--	--	--------------------------	---------	------------	---

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति या असफल होने पर, जो कि कॉलम (7) में निर्धारित शैक्षणिक और अन्य योग्यता और अनुभव रखने	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी;	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य	लागू नहीं
-----------	-----------	--	--	--	-----------

		वाले व्यक्तियों में से अनुबंध के आधार पर है	(i) मूल संवर्ग या विभाग के आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले ; या (ii) हिंदी टंकक का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (iii) कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता धारक टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि भारत सरकार के इसी संस्थान या संवर्ग बाह्य इस नियुक्ति की तुरंत पूर्व किसी प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी विशेषज्ञ।	
--	--	---	--	--	--

[फा.सं.वी.11013/5/2021-एमई-1 (पार्ट-2)]

वी. हेकाली झिमोमी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2021

G.S.R. 837(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 8, read with section 56, of the National Medical Commission Act, 2019, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various posts in the National Medical Commission, namely: -

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the National Medical Commission (appointment of Officers and Staff) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix – The number of posts, its classification, and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification:- No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings:— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Member (Examination Cell)	03* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group- 'A', Non-Ministerial.	level 14 (Rs. 1,44,200-2,18,200)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion of deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By deputation	By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces Medical Services or autonomous or statutory organization, PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; or (ii) With five years services rendered after appointment to the post on a regular basis in Level 13(Rs 123100-215900) or equivalent in the present cadre or department; and (iii) Having ten years experience of administration, finance and vigilance matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission; Chairman (ii) DG, ICMR (Ex-Officio) Member (iii) Director, AIIMS, Delhi (Ex-Officio) Member (iv) Director, PGI, Chandigarh (Ex-Officio) Member (v) Secretary, National Medical Commission: Member, Secretary	Not applicable

			Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation/ absorption shall be Not Exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications		
--	--	--	--	--	--

2.	Senior Advisor	08* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- 'A', Gazetted, Ministerial.	Level – 14 (Rs 144200-218200)	Selection	Not applicable	(i) Possessing MBBS from a recognised University with a post graduate medical degree. (ii) A total of 12 years in the profession out of which 5 years teaching experience in a recognised Medical College after a Post Graduate Medical degree.
----	----------------	---	--	-------------------------------	-----------	----------------	--

Not applicable	Not applicable	By deputation	<u>By Deputation:</u> Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces Medical Services or autonomous or statutory organization, PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; or (ii) With five years services in the post rendered after appointment to the post on a regular basis in Level 13 (Rs 123100-215900) or equivalent in the present cadre or department; and (iii) qualifications as prescribed in column no. (7). Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government	Selection Committee comprising of:- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman (ii) Secretary, National Medical Commission – Member (iii) One representative nominated by Ministry of Health and Family Welfare- Member One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission- Member.	Not applicable
----------------	----------------	---------------	---	--	----------------

			shall ordinarily not exceed Three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be Not Exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications		
--	--	--	--	--	--

3.	Advisor (Rating)	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group- 'A', Non-Ministerial	level – 12 (Rs.78800-209200) or consolidated remuneration (to be indicated at the time of hiring)	Selection	Upto 45 Years	(i) Post Graduate Degree from a Recognised University or Institute; (ii) 10 years' experience of quality control and rating of infrastructure and other facilities preferably medical institutes or colleges or hospitals. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The aforesaid educational qualification and experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.
----	---------------------	---	--	---	-----------	---------------	--

Not applicable	Not applicable	By deputation failing which on Contract basis from amongst persons possessing the educational and other qualification and experience as prescribed in column (7)	By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces Medical Services or autonomous or statutory organization, PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; or (ii) with five years services rendered after appointment to the post on a regular basis in Level 11 (Rs 67700-208700) or equivalent; (iii) possessing the educational qualification as prescribed under column (7) and (iv) having at least 5 years' experience of quality control and rating of infrastructure and other facilities	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman (ii) Secretary, National Medical Commission – Member (iii) One representative nominated by Ministry of Health and Family Welfare- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission- Member.	Not applicable
----------------	----------------	--	--	---	----------------

			preferably medical institutes/ colleges or hospitals. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment deputation/ absorption shall be not exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

4.	Deputy Secretary (Accounts & Finance)	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group- 'A', Gazetted, Ministerial	Level – 12 (Rs 78800-209200)	Selection	Not applicable	Not applicable
----	---------------------------------------	--	--	------------------------------	-----------	----------------	----------------

Not applicable	Not applicable	By Deputation	By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces Medical Services or autonomous or statutory organization, PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; or (ii) From amongst Principal Accounts Officer or equivalent in level – 11 (Rs 67700-208700) of pay matrix with three years of regular service having experience of Finance, Accounts, Budget matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission- Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission.	Not applicable
----------------	----------------	---------------	--	--	----------------

			organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment y deputation/ absorption shall be Not Exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	---	--	--

5.	Deputy Secretary (Legal)	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- A, Gazetted, Ministerial	Level – 12 (Rs 78800-209200) of Pay matrix	Selection	Not applicable	Not applicable
----	-----------------------------	---	--	--	-----------	----------------	----------------

Not applicable	Not applicable	By Deputation	By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces Medical Services or autonomous or statutory organization, PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) holding analogous post; or (ii) with three years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 11(Rs 67700- 208700) of the pay matrix and having experience of handling legal and legislative matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment y deputation/ absorption shall be Not Exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission- Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission.	Not applicable
----------------	----------------	---------------	--	---	-------------------

6.	Under Secretary (Legal)	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- 'A', Ministerial.	level 11 (Rs 67700-208700)	Selection	Not applicable	Not applicable
----	-------------------------	--	--	----------------------------	-----------	----------------	----------------

Not applicable	Not applicable	By deputation	By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces Medical Services or autonomous or statutory organization, PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) holding analogous post on a regular basis in the present cadre or department; or (ii) From amongst <u>Section Officers</u> (Legal) or equivalent in level 8 (Rs 47600-151100) with five years of regular service having at least three years' experience of handling legal/legislative matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be Not Exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission- Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission.	Not applicable
----------------	----------------	---------------	--	---	----------------

7.	Legal Officer	04* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group- 'A', Non-Ministerial.	level 11 (Rs67700-208700) or consolidated remuneration (to be indicated at the time of hiring)	Selection	Upto 40 years	(i) Graduate with LLB with at least 55% marks; (ii) At least 10 years standing in the profession after registration with Bar
----	---------------	---	---	--	-----------	---------------	---

							Council of India Desirable- Experience of working in law department. in Central Government or State Government / Autonomous organisation.
--	--	--	--	--	--	--	---

Not applicable	Not applicable	By deputation or failing which on Contract basis from amongst persons possessing the educational and other qualification and experience as prescribed in column (7)	By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; or (ii) with three years of regular service the post rendered after appointment to the post on a regular basis in level 10 (Rs 56100-177500) or equivalent; or (iii) having eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 08(Rs 47600-151100) or equivalent; (iv) possessing the educational qualification as prescribed under column (7); and (v) having five years' experience of handling legal matters in a Government/Autonomous organisation. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment deputation/ absorption shall be not exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman (ii) Secretary, National Medical Commission – Member (iii) One representative nominated by Ministry of Health and Family Welfare- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission- Member.	Not applicable
----------------	----------------	---	--	--	----------------

8.	Manager (IT)	03* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	level 11 (Rs. 67,700- 2,08,700) Or consolidated remuneration (to be indicated at the time of hiring)	Not Applicable	40 Years	(i) Master of Business Administration/Post Graduate Diploma in Management and Bachelor of Engineering/ Bachelor of Technology or Master of Computer Application (ii) eight years of experience of handling IT and E-governance projects; (iii) knowledge of government domain is desirable. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified Note 2: The aforesaid educational qualification & experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.
----	--------------	---	---	---	----------------	----------	---

Not applicable	Not applicable	By deputation or failing which on Contract basis from amongst persons possessing the educational and other qualification and experience as prescribed in column (7)	By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on basis the post parent cadre or departments; or (ii) With three years regular services in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level 8 (Rs47600-151100) or equivalent;	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman (ii) Secretary, National Medical Commission – Member (iii) One representative nominated by Ministry of Health and Family Welfare- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission- Member.	Not applicable
----------------	----------------	---	---	---	----------------

			and (iii) Possessing the educational qualification as prescribed under column (7). Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be Not Exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications		
--	--	--	---	--	--

9.	Computer Programmer	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- 'A', Non-Ministerial	level 10 (Rs 56100-177500) Or consolidated remuneration (to be indicated at the time of hiring)	Selection	Upto 35 years	(i) Bachelor of Engineering/ Bachelor of Technology in Computer Science /Information Technology/Electronics and Communication or Master of Computer Application (ii) having five years of experience in advisory services for IT Technologies/software background with experience of handling of IT and E-governance projects. (iii) knowledge of government domain is desirable. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified Note 2: The aforesaid educational qualification & experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.
----	---------------------	---	---	---	-----------	---------------	---

Not applicable	Not applicable	By deputation/ failing which on Contract basis from amongst persons possessing the educational and other qualification and	By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National	Not applicable
----------------	----------------	--	--	---	----------------

		experience as prescribed in column (7)	autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i)Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; or (ii)with five years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 08(Rs47600-151100) or equivalent; (iii)possessing the educational qualification and experience as prescribed under column (7); and (iv)Officers with relevant experience in National Informatics Centre / National Informatics Centre Services Inc. will be preferred. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment deputation/ absorption shall be not exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications	Medical Commission-Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission.	
--	--	--	--	--	--

10.	Accounts Officer	02* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- 'B', Ministerial.	level 9 (Rs53100-167800)	Selection	Not applicable	Not applicable
-----	------------------	---	--	--------------------------	-----------	----------------	----------------

Not applicable	Not applicable	By Deputation	By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions;	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission-Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate	Not applicable
----------------	----------------	---------------	---	---	----------------

			(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; or (ii) From amongst Assistant Account Officers or equivalent in level 8 (Rs 47600-151100) with three years of regular service Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be not exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications.	level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission.	
--	--	--	---	--	--

11.	Hindi Officer	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- 'B', Ministerial.	level 8 (Rs.47600-151100)	Selection	Not applicable	Not applicable
-----	---------------	--	--	---------------------------	-----------	----------------	----------------

Not applicable	Not applicable	By Deputation	By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; or (ii) From amongst Senior Hindi Translator or equivalent in level 7 (Rs 44900-142400) with five years of regular service Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission- Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission.	Not applicable
----------------	----------------	---------------	---	--	----------------

			same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment deputation/ absorption shall be not exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications		
--	--	--	--	--	--

12.	Assistant Accounts Officer	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-B, Gazetted, Ministerial.	level 7 (Rs.44900-142400)	Selection	Not applicable	Not applicable
-----	----------------------------	---	---	------------------------------	-----------	----------------	----------------

Not applicable	Not applicable	By Deputation	By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; or (ii) From amongst Senior Accountants or equivalent in level 6 (Rs35400-112400) with five years of regular service Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment y deputation/ absorption shall be not exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission- Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission	Not applicable
----------------	----------------	---------------	---	---	----------------

13.	Junior Hindi Translator	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group- 'C', Ministerial.	level 6 (Rs.35400-112400)	Selection	Not applicable	Not applicable
-----	-------------------------	--	--	------------------------------	-----------	----------------	----------------

Not applicable	Not applicable	By deputation	By Deputation: From amongst officials holding analogous post in the Central Government/ State Governments/ autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission- Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission	Not applicable
----------------	----------------	---------------	---	--	----------------

14.	Accountant	02* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group- 'C', Ministerial.	level 5 (Rs.29200-92300)	Selection	Not applicable	Not applicable
-----	------------	--	--	-----------------------------	-----------	----------------	----------------

Not applicable	Not applicable	By deputation	By Deputation: Officials of the Central Government/ State Governments/ Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission- Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical	Not applicable
----------------	----------------	---------------	--	---	----------------

			departments. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be not exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications	Commission	
--	--	--	---	------------	--

15.	Librarian/Assistant Librarian	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group- 'C', Ministerial.	level 5 (Rs.29200-92300)	Selection	Not applicable	Not applicable
-----	-------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------	----------------	----------------

Not applicable	Not applicable	By deputation	By Deputation: Officials of the Central Government/ State Governments/r Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments;. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be not exceeding	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission- Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission	Not applicable
----------------	----------------	---------------	---	---	----------------

			56 years as on the closing date of receipt of applications		
--	--	--	--	--	--

16.	Store keeper	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- 'C', Ministerial	level 4 (Rs.25500-81100)	Selection	Not applicable	Not applicable
-----	--------------	---	---	-----------------------------	-----------	----------------	----------------

Not applicable	Not applicable	By deputation	By Deputation: Officials of the Central Government/ State Governments/r Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments with one year experience in handling store and keeping accounts of the store. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation/ absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission- Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission	Not applicable
----------------	----------------	---------------	--	--	----------------

17.	Staff car driver	04* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- 'C', Non-Ministerial	level 3 (Rs.21700-69100)	Non Selection	Upto 35 years	(i) Matriculation or equivalent pass; (ii) holding valid driving licence issued by the licencing authority; (iii) five year experience of driving in a Central Government / State Government /Autonomous Organisation. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.
-----	------------------	---	---	--------------------------	---------------	---------------	--

Not applicable	Not applicable	By deputation or failing which on Contract basis from amongst persons possessing the educational and other qualification and experience as prescribed in column (7)	By Deputation: From amongst staff car drivers or dispatch riders holding analogous post in the Central Government/ State Governments/ Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 2 (Rs.19900-63200) in parent cadre or department. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission- Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission.	Not applicable
----------------	----------------	---	---	---	----------------

			exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment deputation/absorption shall be not exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications		
--	--	--	--	--	--

18.	Hindi Typist	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group-C, Ministerial.	Level 2 (Rs.19900-63200)	Non Selection	Upto 35 years	(i) Bachelor of Arts (Hindi); (ii) three years of hindi typing experience preferably in a Central Government / State Government /Autonomous Organisation. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified
-----	--------------	---	---	-----------------------------	---------------	---------------	--

Not applicable	Not applicable	By deputation/ failing which on Contract basis from amongst persons possessing the educational and other qualification and experience as prescribed in column (7)	By Deputation: Officials of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; and (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; and (ii)with at least three years of hindi typing experience; (iii)possessing the educational qualification as prescribed under column (7).	Selection Committee comprising of :- (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission- Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission.	Not applicable
----------------	----------------	---	---	--	----------------

			Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment deputation/ absorption shall be not exceeding <u>56 years</u> as on the closing date of receipt of applications		
--	--	--	--	--	--

[F.No. V.11013/5/2021-ME-I(Pt-2)]

V HEKALI ZHIMOMI, Jt. Secy.